Election to Committee Animal Welfare Board

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI S C. JAMIR): On behalf of Shri Annasahib Shinde, I beg to move:—

> "That in pursuance of section 5 (1) (i) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the Animal Welfare Board for the next term commencing from the date of election, subject to the other provisions of the said Act."

MR. SPEAKER : The question is:

> "That in pursuance of Section 5 (1) (i) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the Animal Welfare Board for the next term commencing from the date of election, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now, we adjourn for lunch. In future, if I forget to mention the time, to meet again at such and such time kindly take it that we re-assemble after one hour. We adjourn to meet again at 2-30 P. M.

13 30 hrs.

The Lok Sabha adjourued for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty-seven minutes past Fourteen of the Clock.

[Shri Prakash Vir Shastri *in the Chair*]

ARCHITECTS BILL-(*Contd.*)

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Mr. Chairman, Sir, yesterday, I was in the process of congratulating the Government for having brought forward this Bill after 25 years of consideration. After having congratulated them yesterday, I have to congratulate them again today, because it is now 25 years and one day. I must also congratulate the Minister for, he is really fortunate in being the successor to a long line of Education Ministers who had tried to bring this measure and had not succeeded to this day.

Sir, as you know, this Bill is a non-controversial one. It is non-controversial because all it merely seeks to do is to protect the word 'Architect'. I think, the Architects of this country would have liked very much had the Bill been much stronger and protected the profession of Architecture. But, unfortunately, the conditions of this country being as they are, it was not possible and it would not get the necessary support to protect the profession but it was still necessary that the title 'Architect' should be protected. And therefore this Bill does nothing other than merely protect that title.

According to this Bill, those who are qualified as Architects in our country should be allowed to register themselves as Architects. All those who have been earning their livelihood as architects will also be allowed to register themselves as Architects. What is the position in future ? Not only will all those who have an architectural qualification be permitted to practice architecture, but anybody else also can do the same thing provided they do not call themselves as Architects. As I said, this Bill is so very non-controversial that I do do not wish to make a lengthy speech on the subject.

There are a couple of Amendments that which I have suggested which, at this point of time I would advocate for the consideration of the Minister and of the House.

One of the main amendments which I think is basic to the healthy growth of architecture is that the professional body representing architects in this country should be very actively associated with the practice of architecture. This is the practice that is followed in many countries. I

shall give you some background in this regard. Even in the newly emerging countries of Africa, the Institute of Architects is the sole representative body ofthe profession and its membership is considered as an adequate qualification for being put on the register. In Great Britain, not only is the registration done by the institute but actually the Council of The Royal Institute of British Architects is the registering body. But here, according to the Bill, we have created another body which is going to be a separate body in addition to the Council of the Indian Institute of Architects. Therefore, I strongly recommend that Part II of the Schedule which deals with qualifications, should include membership of the Indian Institnte of Architects also.

There are several qualifications in the past that have, for no fault of the students concerned, been some what below par. The State Governments have started courses which have not been acceptable either to the profession or to the Central Government or the UPSC. Although the Bill seeks to establish standards, it must be realised that there is a large body of people, for instance, who have passed the Maharashtra Government diploma course which was started in 1956; there is a large body of students who went through that five-year course, and it was no fault of theirs that the course was not up to the required standard. It is only with hindsight that we have starded investigating this case and declared that it was not up to the mark. All those students who have come out of that course have been practising architecture for the last few years, and since they are qualified under another provision of the Bill, therefore, I would strongly recommend that this qualification also should be included within the prescribed qualifications in Schedule B.

There are a few other courses like the course that was started at the Government School of Engineering at Rasul. Those who have passed out of that course must be something like 60 to 65 years old. If you take the sum total of the work that they do, it could not amount to very much not more than a few stray buildings over the whole country. I think there must beabout 25people affected. I would strongly suggest that this qualification such as the one awarded by the Rasul school may also be included in the Schedule.

Then, take, for instance, the qualifications of the Kala Bhavan, a course which was stopped in 1951, and all those who passed out of it would be entitled to register under clause 25 (b) of the Bill. So, it would be doing them an injustice if they were not included in the Schedule as it stands. Some of them are today holding the highest government jobs, and senior appointments in government service. The course has for a long time been converted to what is today known as the B. Arch. course of the M. S. University, Baroda. Therefore, I would recommend to the hon. Minister and I would urge the House to look at this point from the point of view of compassion and humanity, because the entire Bill has been oriented to that. The Bill has been oriented to that. The Bill has been oriented to permit everybody who has been practising architecture to continue to do so that there is no disruption in the life of anybody engaged today in building activity.

Having done so, you will find ultimately a register which will have the names of about 3,000-5,000 architects and about 20,000-50,000 people and would be of the educational background of overseers, surveyors, engineers and other people connected with the building trade. When you have a register as composite as that, it would be too picky to insist on specific qualifications. I think it would be doing on injustice. We have gone at this for 25 years and evolved a formula which does not injustice to anybody. I strongly recommended that at this last moment we do not become pattvminded picky or choosy about specific qualifications which when put together do not amount to very much.

श्री हेम राज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, जो बिल सदन के सामने पेश हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं। जहां तक आर्किटेक्ट्स का सवाल है शहरों के लिए तो चालीस चालीस मजिला बिल्डिगें खड़ी हो रही हैं, लेकिन जहां तक सवाल है हमारे देहातों का, वहां के लिए

[श्री हेम राज]

मैं समझता हूं कि ऐसे आर्किटेक्ट्स की जरूरत है जो कि थोडे पैसे में वहां पर जो चीजें मिलती हैं उन के अनुसार छोटी छोटी कीमत के मकानों का प्रदर्शन लोगों के सामने कर सकें तो हमारे हिन्दुस्तान के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज चारों तरफ से एक स्लोगन चलता है सोशलिज्म का जिस में हर एक यह चाहता है कि लोगों को रोटी मिले, कपड़ा मिले और साथ में मकान मिले लेकिन भारतवर्ष में तो मकानों की किल्लत पड़ी है और जिस तरह से अभी आज यह बिल चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम उस में से बहुत सारे उन नवजवानों को बाहर रखेंगे जिन का कि वास्ता इंजीनियरिंग से है। वह जो मौजूदा परिभाषा दी है आर्किटेक्ट की वह उसमें आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, यह मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस बात को साफ करें। जैसा कि पीलू मोदी जी ने कहा इसमें बहुत सारों का समावेश करना चाहिए था। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप ने इसमें और चीजें रखी हैं तो हमारे पालीटेकनिक्स भी हैं जिस में आप उनको तीन साल तक आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी करवाते हैं तो क्या उन को शामिल किया जायगा या नहीं? आज पचास हजार तो हमारे इंजीनियर बेकार पड़े हैं और 5 हजार डिप्लोमा होल्डर और इंजीनियर और निकलने वाले हैं, सबके लिए काम देने का सवाल है। तो इस में आर्किटेक्ट की डेफिनिशन में उनका आप समावेश कीजिए ताकि वह कुछ ट्रेनिंग लेकर के अपना जीवन चला सकें। इस समय जो यह हमारे इंजीनियर्स बेकार हैं उनके लिए आप ट्रेनिंग क्लासेज जारी करें और इसी में उन को तैयार कर दें तो भी बहुत सारा हिस्सा उन का इस में जज्ब हो सकता है। इस के साथ साथ आप ने इस में धारा रखी है जिसमें या तो इंस्टीट्यूशन को रखा है या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको ज्यादा नुमाइन्दगी दे दी है। यही ऐसे प्राविजन्स हैं कि जिनसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्हीं से सारे कौंसिल को आप भर देंगे। तो उन्हीं का बोलबोला वहां रहेगा और जो ऐक्चुअल प्रेक्टिस करने वाले हैं उनकी आवाज वहां पर बहुत कमजोर रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल में कोई ऐसा प्राविजन होना चाहिए जैसे कि बार कौंसिल्स में या मेडिकल कौंसिल्स में है, उन के अन्दर ऐक्चुअल प्रेक्टिशनर्स हैं, उनकी वायस ज्यादा है। इसी तरह से इस बिल में भी जो आपका एलेक्शन सिस्टम है वह डायरेक्ट नहीं है, इन्डायरेक्ट तरीके से रखा है या नामिनेशन का हिस्सा बहुत ज्यादा कर दिया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि अगर आप इस में इलेक्टेड नुमाइन्दों को ज्यादा अहमियत दें, तो जो अपने हाथ से काम करने वाले हैं, जैसे डिज़ाइन करनेवाले, बनवाने वाले, उन सब का समावेश हो जायेगा और जो प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज़ हैं, वे कौंसिल के सामने आ सकेंगी। इस समय आपने इस कौंन्सिल में या तो आफिसंज को रखा है या कुछ इंस्टीचूशन्ज़ को रख लिया है इस तरह से जो दूसरे लोग हैं, जो आम प्रेक्टिस करने वाले हैं, उन की कोई नुमाइन्दगी नहीं हो सकेगी। ऐसी हालत में होता यह है कि जो सरकारी मुलाज़िम होते हैं उनका प्रभुत्व हो जाता है और आज कुछ ऐसा नज़रिया बन गया है, जैसा हमारे लीगल प्रोफ़ेशन में हो गया है कि बहुत से टाउट्स पैदा हो गये हैं, उसी तरह से आफिशियल आर्किटेक्ट्स में भी पैदा हो जायेंगे और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनके साथ मिल कर प्लान्ज़ को फेल करवा देंगे, इस तरह से नाजायज़ पैसा कमाने का ढंग बन जायगा। इस लिये जरूरी है कि इस के अन्दर आप ने उन लोगों की जो डोमिनेंस कर दी है, उस को खत्म कर देना चाहिये।

एक अर्ज मैं आप से यह करना चाहता हूं कि जहां तक सवाल इंजीनियर्स को ट्रेन्ड करने का है, उसके लिए इस बिल में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप कोई स्कीम बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस आर्किटेक्ट बिल में उन

आदमियों के लिये जो इस समय बेकार बैठे हुए हैं, उनके जज़्ब करने के लिये कोई तरीका निकालें, जिससे उनको काम मिल सके। इस तरह से आप अनएम्पलायड आर्किटेक्ट्स की समस्या को हल कर सकेंगे और उन के रोजगार का सिलसिला बन जायेगा।

हमारे यहां कंसलटिंग इन्जीनियर्स की एक इंस्टीचूशन है, जो बहुत पुरानी है, उसको आपने इस में नुमाइन्दगी दी है। यह इंस्टीचूशन अपनी तरफ़ से फेलोशिप का एक सर्टिफिकेट देती है। यह सर्टिफिकेट उन लोगों को ही दिया जाता है जो पूरी तरह से डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और इस काम से ताल्लुक रखनेवाली तमाम चीज़ों से वाकफियत रखते हैं। आप ने इस बिल में जो कवालीफिकेशन का शैडयूल रखा है, उन में इस इंस्टीचूशन के उस फैलोशिप सर्टिफिकेट को मंजूर नहीं किया है, जब कि यह सर्टिफिकेट एक ऐसी बाडी की तरफ से दिया जाता है जो एक्सपर्ट्स की बाडी है। इस लिये मैं चाहता हूं कि जहां आप ने दूसरी क्वालीफिकेशन्ज़ का समावेश किया है, वहां उस के सर्टिफिकेट का समावेश भी होना चाहिये, अगर किसी के पास वह सर्टिफिकेट मौजूद है तो उस की क्वालीफिकेशन्ज को दुरुस्त मान लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अगर आप मेरे इन सुझावों को मान लेंगे तो बिल के अन्दर जो बहुत सारी कमियां रह गई हैं, वे दूर हो जायेंगी। इस वक्त इस बिल के खिलाफ़ काफ़ी असंतोष चल रहा है, लेकिन इन सुझावों को मान लेने के बाद वह दूर हो जायगा। जैसा मैंने अभी अर्ज किया है—आर्किटेक्ट्स को एक ऐसी तालीम जरूर दी जाय जो हमारे देहात की प्राबलम को हल कर सके। अगर आप यहां पर ऊंचे ऊंचे मकान बना कर यह समझ लेंगे कि आप का आर्किटेक्ट बिल कामयाब हो गया है, मैं समझता हूं कि वह कामयाबी नहीं है। मैं तो इस बिल की कामयाबी उस वक्त समझूंगा, जिस वक्त आप देहातों की समस्या को हल कर सकेंगे, जहां पांच-छः करोड़ ऐसे शहरी बैठे हुए हैं, जिनके पास मकान नहीं है। उन को थोड़े पैसों में, वहीं के मैटेरियल से बना कर जब आप मकान दे सकेंगे, तब मैं समझूंगा कि हमारा यह आर्किटेक्ट बिल कामयाब हुआ है।

SHRIMATI TARA SAPRE (Bombay-North-East) : I was a member of the Joint Committee. The origional Bill was very much objected to by the engineering profession, and the whole engineering profession was very much disturbed. but in the Joint Committee we have thrashed out many points and given an impartial judgement in the form of the revised Bill. I fully agree with Mr. Piloo Mody that the architects Bill is nothing but a registration of architects. The Architects Bill is meant to protect the title and the architect, not the profession of the architect.

In our country which is undeveloped the architect's work is mainly performed by the civil engineers. And at present the leading civil engineers are also very well known architects. In view of this fact, the importance given to the architect should be on the same basis. In fact the work of the architect is mainly with designing of the building-elevation, aesthetic sense. But the constructional part of the building is mainly done by the Civil, Structural Engineers.

To-day even in the rural areas architects job is done by the engineers. The Constitutions of architect's many a time adds a lot to the cost of the building. So going to the architect is just like going to the specialist in medicine. So in view of all the facts this Bill should be only used as Registration of Architects where the little should be protected.

It is a fact the large number of civil engineers who are at present practising as Engineers-Architects should not be barred after the passing of this Bill. Also those engineers who are likely to come in this field should not be barred from practising architecture. In view of this fact that a large number of Engineers are unemployed at present, they should not be deprived of their right of earning their livelihood by practising designing, planning and construction of the buildings. This is well known that this pro-

[Shrimati Tara Sapre]

fession has come into existence in our country only recently; as such there is limited number of architects in the profession.

There are a large number of engineers in this profession and their interest should be protected. In the end I would like to emphasise that the architects and engineers are complimentary to each other. I have given two amendments; one is to recognise the diploma in architecture awarded by the Government of Maharashtra. This modification is very necessary. For the last fourteen years, these diploma holders are doing their job successfully. They are in the Central Government Service also. It is ridiculous for the Government to ask these diploma holders who are in this architectural field to pass the examination of the five year Diploma Course If those Diploma Holders are derecognised at this stage, who had completed the course initially prescribed by Government, I think the public at large will lose faith in the Government's authority of giving degrees or diplama.

There are 2,500 diploma holders who will be effected if this Bill is passed without this amendment. There is no reason why they should be put to these hardships. My second amendment is to omit lines 34 and 35 in the Schedule.

There is no reason why a certificate of fellowship awarded by the Frank Lloyd Wright foundation of the United States should be accepted in comparision to Bacholar's Degree or Diploma or Doctor's degree. The Indian Institute of Architect should be asked to produce a list of persons holding such a certificate who are practising in India to find out whether it is only a person having vested interest or there is a large number of persons having these certificates. When Government wants to derecognise some 2,500 deploma holders with 14 years experience, the same Government recognised a Certificate course of foreign Government for some persons who are influential in the Government. Public will strongly oppose this move. Therefore I have moved these two amendments I want to know from the hon. Minister categorically whether he wants to derecognise the our diploma while recognising the foreign diploma I had referred to.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj) : Mr. Chairman, Sir, the hon Minister yesterday stated that the Bill was intented to protect the architects. Mr. Piloo Mody wanted that the Bill should protect the profession. The hon. Minister wanted to protect designation, while Mr. Piloo Mody wanted that the profession should be protected.

SHRI PILOO MODY : Would have wanted.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA : "Would have wanted," Let it be so. I want that the Bill should protect the Indian artitecture itself. When I was scrutinising the provisions from that point of view, whether the Bill in any way would help Indian architecture-I have been scrutinising the qualifications entered in the Schedule, Part I and Part II from that angle-whether the qualifications prescribed there for the Indian architects would help to create architects who would be able to revive, develop and protect Indian architecture, I felt that in future somebody will have to give some thought to architecture itself. If the architect is to be protected if that is the object and if architecture is not protected, what is the use of protecting the designation of the architect ?

The object of the Bill, as is stated, is to protect not only the architects but also to protect the public from unqualified architects. That is the object. I believe that has been served by prescribing the qualifications in the schedule to the Bill. But, as I have stated, the question, of having a real representation of Indian architecture in the erection of the buildings undertaken on behalf of the Government is a matter to be considered.

The circumstances which led to the introduction of the Bill as stated are that "There is a tremendious amount of building activity in consequence of the industrial development and the implementation of the various Plans." There is a tremendious amount of building activity in India now, and therefore, this Bill is needed. I say this was an occasion which might be utilised to help the Indian architecture itself to be revived, developed and protected. But I am afraid that, advantage has not been taken

of the opportunity of doing the same. Instead of helping the Indian architecture, what we are having today is the import of what should be called matchbox architecture from the west, which is disfiguring our landscape in the capital cities of India. What is happening in Delhi and Calcutta today is matchbox construction which is an eye-sore to the people and which disfigures the landscape of the entire city. I think something should be done in this regard, to which I wish to draw the attention of the Government.

In this matter, I wish to state an experience of my own. When Bhubaneswar was being constructed as the new capital of Orissa, somenow-it may be a hobby-I thought that in the fitness of things the new structures that would come up should be consistent with the architectural remains that we find in the Bhubaneswar city all around. I came to Delhi, and Shri Hare Krishna Mahatab was at that time in the Central Ministry-and met him and requested him to see if he could use his influence to persuade the Government to have the new structures in Bhubaneswar to be inkeeping with Indian architecture already there.

With that object in view, I myself went to Cuttack and saw the Vice-Chancellor of the University, Mr. Chintamani Acharya. I requested him that he might ask the students of the university to study the architecture that was there, with the assurance that if they completed the study, they might be given doctorates in those subjects and with the experience they would gain, they could help the new structural engineers who were in charge of building the capital to have Indian architecture newly revived in the matter of reconstruction of Bhubaneswar. I do not know what was done. But I got this information from my friend, Prof. Nirmal Kumar Bose, regarded as an expert in Indian architecture of Orissa, that he was called by the authorities and told, "We would prepare our structures as we like. Would you put in some of your things here and there, so that what we build would look like Indian architecture ?" Nirmal Babu said this could not be done and if they wanted to put it in the form of Indian architecture, the whole basis had to be changed. But to that the modern engineers were not agreeable. So, Nirmal Babu went away disappointed. And, we have the new capital completely inconsistent with the surroundings. That was my grievance which should have been attended to.

In this country, during different periods of rule, we have had the revival of different types of architecture. We have the remains of Hindu architecture, the Buddhist architecture, the Pathan architecture, the Moghul architecture and so on. Even during the British period, we have the remains of the first period of British architecture and the latest period of British architecture in the Buildings of New Delhi. But during the period of running of this Government, no new type of architecture has been revived or put up before the architects or before the people. In this matter, our Government has not done its task as fully as it should have done.

The Moghul emperors are regarded as great builders. The greatest of them was Shahjahan, who built so many things which are wonders of the world even today. In a way. Pandit Nehru himself was a great builders; he built many structures, but my grievance is that the structures are not in keeping with the Indian architectural style and technique. In the south, we have the Pallava, the Chola, the Chalukya and Dravidian architecture. In the north, we have the Nagara architecture. All these types of architecture might have been studied and utilised. But nothing has been done. To that I would draw the attention of the Minister, so that he may in future find out whether some things can be done for Indian architecture and not merely stop by protecting the designation o. architect.

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, मैं श्री पीलू मोदी के साथ इस बात में सहमत हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए बधाई दी जाये कि उन्होंने 25 वर्ष पहले जिस बालक की कल्पना की थी उसको उन्होंने जन्म दिया है। साधारणतया 9 महीने के समय गर्भावस्था के लिए होता है लेकिन इस सरकार ने इसमें 25 वर्ष लिए। इससे इस सरकार की गति के सम्बन्ध में आप कल्पना कर सकतेहैं। 1947 में पहली बार इस विधेयक की कल्पना की गई थी और एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया

[श्री श्रीचन्द गोयल]

गया था। वह प्रारूप भिन्न भिन्न राज्यों को भेजा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि 1947 से लेकर लगभग 15 वर्ष तक उस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई। 1960 में यह विषय पुन: विचारार्थ आया। 1968 में यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। 1969 में जो प्रवर समिति बनी थी उसने इसकी धाराओं पर बड़ी गहराई से विचार किया। यह आनन्द का विषय है इसमें दो विशेषज्ञ, श्री पीलु मोदी जो आर्किटेक्ट्स के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं और जिनकी देश के प्रमुख आर्किटेक्ट्स में गणना है, उनकी योग्यता का प्रवर समिति को लाभ मिला। साथ ही साथ राज्य सभा के श्री महिदा जो एक प्रमुख इंजीनियर हैं, उनकी भी सलाह और उनका भी मशिवरा इस प्रवर समिति को प्राप्त हुआ।

सभापति महोदय, आर्किटेक्ट्स इस बात के लिये उत्सुक थे कि उनको सम्मान का तथा प्रतिष्ठा का स्थान दिया जाए। यह उनक मांग उचित मांग आज हम चिकित्सा व्यवसाय से इनकीतु लना करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज रोगी का इलाज अनपढ़ डाक्टर भी करते हैं, वे लोग करते हैं जिनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, जिनमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। फिर चाहे वह एलोपैथी का प्रश्न हो या आयुर्वेद का हो या होम्योपैथी का हो परन्तु भिन्न भिन्न सरकारों ने उनके सम्बन्ध में विधेयक लाकर उनकी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की ताकि जो लोग क्वालिफाइड व्यक्तियों के पास जाना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो और रजिस्टर्ड व्यक्तियों की सूची उनको उपलब्ध हो सके।

हमारे देश में मेरा ऐसा अनुमान है कि नब्बे प्रतिशत मकान ऐसे लोगों के द्वारा बनाये जाते हैं जो न आर्किटैक्ट की डेफीनीशन में आते हैं और न ही इंजीनियर की डैफिनिशन में आते हैं। इस विधेयक में आर्किटैक्ट की व्याख्या तो हम नहीं कर पाये और शायद वैसा करना सम्भव भी नहीं था लेकिन कम से कम उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करके उनके व्यवसाय को संरक्षण देने का प्रयत्न हमने अवश्य किया है, उनको सम्मान और प्रतिष्ठा का स्थान देने का हमने प्रयत्न अवश्य किया है।

इस सम्बन्ध में एक कठिनाई अवश्य महसूस हो रही है। इस में यह कहा गया है कि जिस समय इस विधेयक पर अमल शुरू होगा उस समय जिस व्यक्ति को पांच वर्ष हो गए होंगे व्यवसाय करते हुए केवल उसी को इस बात का अधिकार मिलेगा कि वह रजिस्ट्रेशन करा सके। मैं अनेकों विद्यार्थियों की कल्पना कर सकता हूं जो इससे वंचित रह जायेंगे। हमारे यहां चंडीगढ़ में भी इंजीनियरिंग कालेज है। वहां आर्किटेक्चर की एक शाखा है। अनेकों होनहार विद्यार्थी वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके निकले हैं। अगर हमने पांच साल की मर्यादा लगा दी एक व्यक्ति को अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो अनेकों वे विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे और उनको पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। में समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर अवश्य विचार करेंगे। यह जो पांच साल की मर्यादा लगाई गई है इसको हटाने पर वह निश्चित रूप से विचार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

आपने देखा होगा कि इस विधेयक पर कई सौ संशोधन आए हैं। उन संशोधनों के देने वाले महानुभावों का आशय यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार की और श्रेणियों को इसके अन्दर अवसर दिया जाए ताकि वे श्रेणियां भी अपने आपको रजिस्टर करा सकें। मैंने भी एक महत्वपूर्ण संशोधन इस विषय पर दिया है और मुझे खुशी है कि मेरे मित्र श्री पीलु मोदी ने उसका समर्थन किया है। पंजाब के विभाजन से पहले 1947 से पहले रसूल के इंजीनियरिंग कालेज से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उनको आज इस शैड्यूल में शामिल नहीं किया

गया है। वे विस्थापित भाई हैं। पांच वर्ष का तो सवाल उनके केस में उठता ही नहीं है। बीस वर्ष से भी ज्यादा समय से वे इस भवन कला के कार्य मे लगे हुए हैं। उनको इस से क्यों वंचित रखा गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। मन्त्री महोदय हमेशा उचित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न करते हैं। मैं समझता हूं कि वह इस बात का निश्चित रूप से विचार करेंगे कि उन भाइयों का जिन का कोई दोष नहीं है, जिन्होंने सचमुच में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, जो योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं, जो बीस या तीस साल से इस व्यवसाय में रत हैं, कार्य कर रहे हैं, योग्यता के साथ कर रहे हैं, उनको इस से वंचित रखने का वास्तव में कोई कारण नहीं है।

इसके साथ साथ एक बड़ा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आप के पास तीन चार सौ संशोधन आए हैं। हर एक व्यक्ति और हर एक श्रेणी की योग्यता का विचार उसके सम्बन्ध में करना होगा। मुझे पता नहीं कि आप उन सब को इस समय शैड्यूल्ड में शामिल करने पर रजामन्द होंगे या नहीं लेकिन कम से कम एक समिति आप तुरन्त नियुक्त करें जो इस पर विचार करे कि जिन श्रेणियों की इन संशोधनों द्वारा मांग पेश की गई है, उनको सम्मिलित किया जाए या न किया जाए। समिति या कमीशन जो भी आप नियुक्त करना चाहें तुरन्त नियुक्त करें ताकि वह जल्दी अपनी सिफारिशें दे सके और उन सिफारिशों पर आप विचार करके एक दूसरा संशोधन विधेयक उन श्रेणियों को इस के अन्दर शामिल करने के लिए ला सकें।

इस में कोई संदेह नहीं है कि आज अनेकों लोगों के मन में इस प्रकार की चिन्ता घर कर गई है और वे यह समझ रहे हैं कि उनके रोजगार के साधनों के ऊपर लात मारी जा रही है। भारत जैसे देश में अनेकों प्रकार के भवनों का निर्माण होना है। आप यह भी जानते ही हैं कि अपने देश में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन को आकाश की छत के नीचे जीवन बिताना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है, जिन के पास मकान तक की सुविधा नहीं है। उनको मकान देने की शायद सरकारी स्तर पर भी कोशिश होगी और दूसरी संस्थाओं द्वारा भी प्रयत्न किये जाएंगे और व्यक्तिगत रूप से भी प्रयत्न होंगे। इस प्रकार अनेक तरह के भवन बनेंगे। इन भवनों के निर्माण के लिये हमें योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस वास्ते इस श्रेणी के प्रतिनिधित्व के सवाल पर मन्त्री महोदय तुरन्त विचार करें। आप एक परिषद बनाने जा रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन का काम भी करेगी और किस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन वापिस लेना है. उसका अधिकार भी उस परिषद को होगा। विधेयक के अन्दर यह व्यवस्था की है कि हर सरकार अपना प्रतिनिधि उस में भेजे। अब यह कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी ही हो। प्रवर समिति बधाई की पात्र है कि उसने यह कहा है कि सरकार को अपनाही आर्किटेक्ट मनोनीत करना होगा, यह नहीं होना चाहिये और इसके बजाय राज्य सरकारें जिस को भी उचित समझे या सरकार जिसको भी उचित समझे चाहे वह सरकारी आर्किटेक्ट हो या गैर सरकारी उसको अपनी सरकार का प्रतिनिधि बना कर भेजें। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि अगर हम चिकित्सा विभाग की तरफ देखें तो वहां पर यह अधिकार उस व्यवसाय को करने वालों को दिया गया है कि वह अपने प्रतिनिधि का चयन करें। उनका सिलैकशन उन पर निर्भर रहेगा। हम जानते हैं कि सरकार अनेकों बारपक्षपात से ऊपर उठ कर निर्णय नहीं करती। सौभाग्य से प्रो० शेर सिंह यहां पर मौजूद हैं। चंडीगढ़ के अन्दर उन्हें मालूम है कि आज किन लोगों का बहुमत है। लेकिन जब टैलीफोन एडवाइज़री कमेटी में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का वक्त आता है तो वह कहते हैं कि पब्लिक की नुमाइंदगी

[श्री श्रीचन्द गोयल]

कांग्रेस का वहां का प्रधान ही करेगा, जन संघ की तरफ से या किसी दूसरे दल की तरफ से पब्लिक की नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी मैं पूछता हूं उन लोगों ने क्या कसूर किया है ? जिस दल का वहां स्पष्ट बहुमत है, जिन को एक प्रकार की जानकारी है, जो सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है, उसको तो लिया नहीं जाता है लेकिन टेरिटोरियल कांग्रेस के दो प्रधान हैं, उनको रख लिया जाता है.......

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : आप उसके सदस्य हैं।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : मैं बतोर मेम्बर पार्लिमेंट के हूं, आपकी कृपा के कारण नहीं। अगर मैम्बर पार्लियामैंट किसी और दल का होता तो वह उसका सदस्य होता। उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करना यह आपको शोभा नहीं देता है। आपकी दृष्टि इतनी संकुचित हो गई है, इतनी पक्षपातपूर्ण बन गई है कि आपको अपने दल के बाहर कोइ भी व्यक्ति वैसी योग्यता का मालिक दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह अधिकार सरकार को देने के बजाये व्यवसाय में लगे हुए लोगों को देना चाहिए, ताकि अपने प्रतिनिधि का चुनाव वे स्वयं करें। सरकार को यह अधिकार नहीं देना चाहिए, वर्ना मुझे पूरा भय है कि सरकार इस का दुरुपयोग करेगी और अपने ही व्यक्तियों को इस में लाने का प्रयत्न करेगी।

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : सभापति महोदय, जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा है, यह बिल कम विवादास्पद है। यह बिल एक ऐसे मिनिस्टर के द्वारा लाया गया है, जो काफी विद्वान हैं और भले आदमी हैं लेकिन इस के बावजूद जो बिल उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत सी बातें उन्होंने छोड़ दी हैं। उनको जानना चाहिये कि हमारा देश ऐसा है, जिसमें स्थापत्य कला का विकास हजारों हजार बरसों में हुआ है। जिस प्रकार इस देश की संस्कृति और सभ्यता मिश्रित है, उसी प्रकार द्रविड सभ्यता, आर्य सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश लोगों के योगदान से यहां की स्थापत्य कला का विकास हुआ है। लेकिन इस बिल में इस बात की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। इस बिल में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये था कि हमारे देश की परम्परागत स्थापत्य कला का विकास कैसे किया जाये।

इस बिल में महाराष्ट्र में तत्कालीन मुम्बई सरकार द्वारा दिये गये डिप्लोमा को मान्यता नहीं दी गई है। उसी तरह पंजाब के रसूल विद्यालय के डिप्लोमा को भी मान्यता नहीं दी गई है। पहले इन दोनों को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब उसको छीना जा रहा है। इसके कारण करीब पांच हजार आर्किटेक्टस कठिनाई में पड़ जायेंगे। देश में बढ़ती हुई बेकारी के कारण जो बैचेनी है, इन दोनों डिप्लोमाज को मान्यता देने से उसको दूर करने में कुछ सहायता मिल सकती थी। लेकिन मालूम होता है कि इस बिल में ऐसे लोगों को मान्यता नहीं दी जा रही है, जिनको पहले से मान्यता प्राप्त है। सदस्यों की ओर से महाराष्ट्र के पुराने डिप्लोमा रसूल विद्यालय के डिप्लोमा और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्ट्स की सदस्यता को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में जो संशोधन रखे गये हैं, उनको स्वीकार करने से यह बिल काम्प्रिहेंसिव बन जायेगा और बाहर जो आशंका और भय प्रकट किये जा रहे हैं कि कुछ वर्गों को मान्यता नहीं मिल पायेगी, वे दूर हो जायेंगे।

इस देश में हम को केवल बड़े-बड़े मकान बनाने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि शहरों में, और विशेषकर गांवों में, गरीब, साधनहीन और मजदूर लोगों के लिए मकान बनाने के बारे में सोचना है। हम को अपनी स्थापत्य कला का विकास इस प्रकार करना है कि गांवों की बस्तियों में छोटे और मजबूत मकान बनाये

जा सकें और कम इनकम वालों के लिए आवास की व्यवस्था की जा सके।

इस देश में जो लोग इस पेशे में लगे हुए हैं, इस बिल में उन सब का समावेश होना चाहिये मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल के बारे में जो संशोधन दिये गये हैं, उन पर इस सदन में कोई मतभेद नहीं है। श्री पीलु मोदी सरकार के बहुत से कामों के बारे में उल्टा ही सोचते हैं। वह समाजवाद के विरोधी हैं। उन्होंने भी जो संशोधन पेश किये हैं, वे स्वीकार करने योग्य हैं। महाराष्ट्र और रसूल विद्यालय के डिप्लोमाज को मान्यता देने के बारे में कोई मतभेद नहीं हैं। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय इसको पायंट आफ प्रेस्टीज क्यों बनाना चाहते हैं। विभिन्न पार्टियों के सदस्य इस बारे में एकमत हैं इसलिये मंत्री महोदय को ये संशोधन मान लेने चाहिये।

इस बिल में एक खामी यह है कि जो प्रथम परिषद गठित की जायेगी, उसमें सरकार को नामजद करने का अधिकार है, लेकिन चुनाव के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है। श्री गोयल की इस बात को हम नहीं मानते हैं कि सरकार को नामजद करने का अधिकार नही होना चाहिये। सरकार को यह अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस बारे में एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि परिषद् में आर्किटेक्ट्स की आवाज को प्रतिनिधित्व मिल सके।

परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का नियम ऐसा है, जिससे एक ही आदमी बराबर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सकते हैं। इसके कारण नौकरशाही बढ़ सकती है।

जब हम स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो इस बिल में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो लोग स्थापत्य कला में लगे हुए हैं, उनकी आवाज सुनी जा सके और वे अनुभव करें कि जो कुछ भी किया जा रहा है, उससे स्थापत्य कला का विकास होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें सरकार का अधिक अधिकार हो जाये और जो लोग स्थापत्य कला में लगे हुए हैं, उनकी आवाज न सुनी जाये।

अगर इन बातों को सुधारा जाये, तो इस बिल के बारे में कोई मतभेद नहीं होगा और यह सर्वसम्मति से पास हो जायेगा। लेकिन मंत्री महोदय ने कुछ लोगों को जानबूझ कर छोड़ दिया है। पता नहीं, उसमें उनका अपना क्या स्वार्थ है। मैं नहीं समझता कि इसमें उन का अपना कोई स्वार्थ है। जिन लोगों को मान्यता नहीं दी गई है, उनको मान्यता देने के बारे में सब माननीय सदस्यों ने अपील की है। यह संशोधन स्वीकार कर लेने से यह बिल काम्प्रिहेंसिव बन जायेगा।

अपने देश की प्राचीन और परम्परागत स्थापत्य कला के विकास के साथ-साथ माडर्न साइन्स का जो डेवेलपमेंट हुआ है, उससे भी लाभ उटाया जाना चाहिए। इस पेशे में लगे हुए सभी लोगों को काम करने का अवसर उपलब्ध किया जाना चाहिए। ऐसी योजना बनाई जानी चाहिये, जिससे गाँवों की गरीब जनता और साधनहीन लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था हो सके। मंत्री महोदय जो बिल लाये हैं, वह प्रशंसनीय है। इस बिल की वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी। स्थापत्य कला को जितना प्रश्रय मिलना चाहिये था, वह अभी तक नहीं मिला है। अगर इन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए सर्व-सम्मत संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायेगा, तो यह बिल सर्व-सम्मति से पास हो जायेगा और हम इसके लिए मन्त्री महोदय को धन्यवाद देंगे।

श्री बेवेन सेन (आसनसोल) : सभापति महोदय, अच्छा होता, अगर श्री पीलू मोडी के साथ मैं भी इस बिल का अभिनन्दन कर सकता। मेरी राय में इस बिल में दो खामियां हैं और वे खामियां ऐसी हैं, जो दूर करने लायक हैं।

[श्री देवेन सेन]

पहली खामी यह है कि सिविल इन्जीनियर्स और आर्किटेक्ट्स में डिसक्रिमिनेशन किया गया है। मंत्री महोदय ने इस बिल को राज्य सभा में इन्ट्रोड्यूस करते हुए अपने भाषण में कहा :

> "It is understandable that in this country it is not only the architects who design and undertake the construction of buildings but as a matter of fact, large number of engineers are also undertaking the same kind of work."

उन्होंने कहा कि आर्टिटेक्ट और इन्जीनियर एक ही प्रकार का काम करते हैं, लेकिन इस बिल में उन दोनों को एक लेबल पर नहीं रखा गया है। इतना ही नहीं, इन्जीनियर्स की इज्जत को घटा दिया गया है। उनके काम करने के मौके में रुकावट डाली गई है। उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से नहीं हो सकता है।

दूसरी खामी यह है कि जिन दो कमेटियों का निर्माण किया गया है, उन दोनों में बहुमत सरकार का या सरकार के मनोनीत आदमियों का होगा।

मैं कुछ आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में पचास हजार इन्जीनियर्स बेकार हैं और हर साल पांच हजार लोग कालेज से निकलते हैं। कल मन्त्री महोदय ने कहा है कि इन्जीनियर्स काम कर सकते हैं, कौन रोकता हैं। मैं कहता हूं कि कोई इन्जीनियर किसी गृह के निर्माण का जिम्मा ले और उसे यह कहा जाये कि यह आर्किटेक्ट नहीं तो क्या वह निर्माण कर सकेगा? इस तरह उनकी इज्जत की हानि की जाती है इस बहाने से कि हम आर्किटेक्ट की टाइटिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस बहाने पर सारे इन्जीनियर्स की इज्जत की हानि की जा रही है। आल इंडिया एसोशिएशन आफ कन्सल्टेसी इन्जीनियर्स एण्ड आर्किटेक्ट्स जो है, "They have decided to fight out this unpopular measure". तो कैसे कहा जाता है कि बिल में कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं है। क्या कमेटी के मेम्बर्स में नहीं है या पार्लियामेंट के मेम्बरों में नहीं है? उनके अन्दर हो सकता है कि कन्ट्रोवर्सी न हो लेकिन हिन्दुस्तान के जितने इन्जीनियर्स हैं और उसमें जितने नवजवान बेकार हैं उनको अगर खुश करने का सवाल है तो मन्त्री महोदय उनको कैसे खुश करेंगे, यह मैं नहीं जानता। मन्त्री महोदय ने कहा है कि इन्जीनियर को क्या रुकावट है? हम तो सिर्फ आर्किटेक्ट की टाइटिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हम आप से कहते हैं कि यदि कोई इन्जिनियर निर्माण के लिए जिम्मा ले और उस पर यह अभियोग किया जाये कि यह आर्किटेक्ट नहीं है तो वह काम कैसे करेगा? हम दांत की बीमारी के लिए किस के पास जायेंगे? जो माना हुआ दांत का डाक्टर है, उसी के पास तो जायेंगे। तो इस तरह से समूचे जो इंजिनियर्स हैं उनके काम करने का मौका बन्द हो जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि डिफरेन्स क्या है आर्किटेक्ट और इंजिनियर में? यह जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसकी प्लानिंग तो एक बाहर के आर्किटेक्ट ने की और यहां की पी० डब्लू० डी० के इंजिनियर्स ने इस का निर्माण किया। देयर ईज ए थ्योरी आफ प्लानिंग एण्ड देयर इज ए थ्योरी आफ कांस्ट्रक्शन।

15.32 hrs.

[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

जो प्लानिंग करता हैं उसको कहते हैं आर्किटेक्ट और जो निर्माण करता है उसको कहते हैं कि इन्जिनियर। आर्किटेक्ट बिल्ड नहीं कर सकता अगर इन्जिनियर न हो और इन्जिनियर भी बिल्डिंग नहीं बना सकता अगर आर्किटेक्ट न हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आर्किटेक्ट को केवल प्रोटेक्ट करेंगे तो इंजिनियर का क्या होगा? यह मैं उनसे जानना चाहता हूँ। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सिर्फ 3 हजार आर्किटेक्ट हैं। यह बिल जब पेश किया गया तो यह कहा गया कि इतने हैं

जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। आज हिन्दुस्तान में गृह की जरूरत है। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में 7 लाख गृह निर्माण करने हैं जिसके लिए एक लाख आर्किटेक्ट्स और इंजिनियर्स की जरूरत है। लेकिन रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ पांच हजार आदमियों का। यह इन्हीं की दी हुई फीगर है। तो यह इतना कांस्ट्रक्शन कैसे होगा, यह भी विचार करना है। इसमें यह है कि सरकार के अन्दर जो सरकार के आर्किटेक्ट्स हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। उनकी तादाद है करीब 3 हजार। तो पांच हजार जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें इनकी सख्या ज्यादा हो जायेगी और वह लोग आकर इस कमेटी में अपना असर जमा लेंगे। सरकार के मातहत इस तरह एक मोनोपॉली कायम हो जायेगी। मैं इस का भी विरोध करता हूं। मैं आउट राइट समूचे बिल का विरोध नहीं करता हूं लेकिन जो खामियां हैं यह मैं उनकी नजर में लाना चाहता हूं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह मोनोपली जो है उसको कैसे रोका जायगा? दूसरी बात जितने इंजिनियर्स हैं वह काम का कोई रास्ता चाहते हैं। लेकिन आप वह रास्ता भी रोक रहे हैं यह कह कर कि आप का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है कब तब कि आप पांच वर्ष तक आर्किटेक्ट के नाते काम नहीं कर लेते। मैं पूछता हूं कि एक इंजीनियर आर्किटेक्ट के नाते कैसे काम कर सकता है? अगर उसको आर्किटेक्ट का काम आप करने दें और रजिस्ट्रेशन का मोका दें तभी तो यह हो सकता है। जैसे एलेक्ट्रिक सप्लाई के ड्राफ्टसमैन हैं, क्या वह आर्किटेक्ट हो जाएंगे? क्या वह रजिस्ट्रेशन में आ सकेंगे? कोल फील्ड में सर्वेयर हैं क्या वह आकर इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे? आप यह डिस्क्रमिनेशन क्यों बरत रहे हैं? इसकी क्या जरूरत है? किस को आप प्रोटेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई प्रोटेक्ट नहीं होता सिवाय इसके कि आप एक डिस्क्रिमनेशन क्रियेट कर रहे हैं। यहां पर जितने नवजवान इंजिनियर्स हैं वह इसके खिलाफ मार्च करना चाहते है। इसलिये मैं उन लोगों के साथ एक राय नहीं हूं जो यह कहते हैं कि इसमें कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं है या यह बहुत अच्छा बिल है। इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। हमने इसमें अमेन्डमेन्ट दिया है। मैं आपका ध्यान क्लाज 2 (ए) की तरफ ले जाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है :

> "architect" means a person whose name is for the time being entered in the register.

उसका नाम है लेकिन उसकी क्वालीफिकेशन नहीं है, क्वालीफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके जवाब में मन्त्री महोदय कहेंगे कि क्वालीफिकेशन न भी हो—

> A person who does not hold such a qualification but being a citizen has beeu engaged in practice as an architect.

तो वह ऐज एन आर्किटेक्ट वर्क कैसे करता होगा जब तक वह आर्किटेक्ट नहीं होगा? इसका मतलब भी मन्त्री महोदय जरा साफ कर देंगे। इसमें कन्फ्यूजन है। कोई भी जो सिम्पली इंजिनियरिंग कालेज से पास कर के आया है क्या उसी वक्त वह आर्किटेक्ट हो गया? अगर नहीं हुआ तो कैसे बनेगा? उसे कहां जाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसमें एक कन्फ्यूजन है, धोखा है। मैं कहता हूं कि यह बिल एक मोनोपली क्रियेट करेगा सरकार के मातहत और इतना ही कह कर मैं इसको सपोर्ट वहीं तक देता हूं कि इसके अन्दर परिवर्तन किया जाये और इसको सुधारा जाये, इसके अन्दर जो लेकूना हैं उनको दूर किया जाये।

श्री शशिभूषण (खारगोन) : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसलिए करता हूं, अभी जो देवेन सेन जी ने हमारे सामने एक प्रश्न रखा कि इससे आर्किटेक्टस और इन्जीनियर्स का टकराव होगा, यह ऐसा ही लगता है जैसे चार्टर्ड एकाउन्ट्स और कास्ट एकाउन्टेंट्स दोनों के अलग अलग स्टेशस हैं और वह एक दूसरे के खिलाफ कहते

[श्री शशि भूषण]

हैं कि इनको मान्यता मिल जायेगी तो हमारा काम कैसे होगा । इसी तरह वैद्यों हकीमों और डाक्टरों का झगड़ा है । मैं यह समझता हूं कि आर्किटेक्ट का अपना काम है स्थापत्य कला का और उसका एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि यह रूप, आकार की कल्पना करते हैं और इंजिनियर उसको बनाता है । ताजमहल की कल्पना जिसने की होगी वह बहुत बड़ा आर्किटेक्ट रहा होगा और जिन लोगों ने उसके साथ काम किया वह काम करने वाले इंजिनियर्स होंगे । तो आर्किटेक्ट तो एक कलाकार होता है । जैसे लेखक होता है, नावेलिस्ट होता है, चित्रकार, पेंटिंग करने वाला होता है, ऐसे ही आर्किटेक्ट एक बहुत ही कल्पनाशील कलाकार होता है । यह स्थूल कला है लेकिन है कला और हमारे साहित्य में स्थापत्य कला को कला के अन्दर स्वीकार किया गया है ।... (**व्यवधान**) ... सूक्ष्म भी है । कविता है, ड्राइंग है और यह स्थापत्य कला है, इनको सबको कला माना गया है । जिसमें ज्यादा निर्माण चीजे इस्तेमाल हों वह स्थापत्य-कला है । हमारा देश तो बहुत प्राचीन काल से इस कला में हमेशा बहुत प्रसिद्ध रहा है ताजमहल हैं, लालकिला है जामा मस्जिद यह दक्षिण के मन्दिर, सारी इमारतें पुराने वक्त से बनती आई हैं । लेकिन आज के युग के आर्किटेक्ट को खास तौर से जो जनता को ज्यादा सुविधाएं दे सके इस ढंग की कल्पना करने की आवश्यकता है । यह जो निर्माण हुए थे पुराने वक्त में जिसमें नार्थ ब्लाक और साउथ ब्लाक की बिल्डिगें हैं यह उस वक्त के लिए उपयुक्त थे । अब तो ऐसी बिल्डिग्स की जरूरत है जिसमें कम कि जगह में लोग ज्यादा बैठ कर काम कर सकें । इतने बड़े-बड़े हाल की जरूरत नहीं है । जरूरत के मुताबिक कलाकार भी अपनी कला को बदलता रहा है । तो आज का जो आर्किटेक्ट है उसको इस बात को सोचना चाहिये । निर्माण के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । आप जहां बैठे हैं इसके आस पास करोड़ों रुपये की जमीन है । एक एक मन्त्री के पास या सक्रेटरी के पास आठ आठ बीघे या आठ आठ एकड़ जमीन पर कोठियां हैं । उनमें जैसे बम्बई में कोआपरेटिव के आर्किटेक्ट्स ने बीस-बीस, तीस-तीस मंजिला बिल्डिगें बना दी जिनमें लोग रहते हैं ऐसे ही इन मंत्रियों के लिए भी एक ही जगह पर फ्लैट के तौर पर इनको रखा जाये तो यह सुन्दर भी लगेगा और इनको दौड़-धूप भी अधिक नहीं करनी पड़ेगी, सुरक्षा भी अधिक रहेगी । और करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है । जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कोआपरेटिव बेसिज पर मकान बना कर दीजिये, इस सैक्रेटेरियट के आसपास, वह बड़ा सुन्दर लगेगा ।

दूसरी दरख्वास्त मैं यह करना चाहता हूं कि जिनके लिए हम मकान बनाते हैं, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिये । आज क्या होता है कि मान लीजिये कलर्क के लिए मकान बन रहे हैं, आर्किटेक्ट डिजाइन बना देता है इन्जीनियर उसको बनाकर दे देते हैं, लेकिन जब वह कर्लक उसमें रहने जाता है तो कहता है कि यह तो मेरे रहने के काबिल नहीं है, इसमें फलां चीज के लिए इतनी जगह होनी चाहिये, फलां चीज का इसमें प्रावीजन ही नहीं है । जिस आदमी को उसमें रहना है, उसको इसके बारे में ज्यादा पता होता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि चाहे क्लर्क हो, चपरासी हो, इस काम में उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये, उनकी राय लेकर इस काम को कराना चाहिये । क्योंकि आजकल के कलाकार एक बिल्डिग नहीं बनाते हैं, उनको हजारों बिल्डिगें डिजाइन करनी होती हैं, इस लिये जिस आदमी को उसे यूज करना है उससे जरूर पूछना चाहिये । किसानों के लिए कैसे बनाना चाहिये, क्लर्क के लिये कैसे बनना चाहिये, मिनिस्टरों के लिए कैसे बनना चाहिये जैसा मैंने अभी कहा है उनके लिये फ्लैट्स होने चाहिये इन सब की राय लेकर बनाना चाहिये ।

आप जानते हैं अभी चण्डीगढ़ बना है, उसके बारे मे काफी झगड़ा रहा, एक विदेशी

ने उसका डिजाइन बनाया। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का भारतीय डिजाइन लगता है, लेकिन कलाकार की कला किसी देश या स्थान से बंधी हुई नहीं होती है, वह तो सारे संसार की चीज है और जरूरत के मुताबिक कलाकार उसको बनाने की कोशिश करता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आर्किटेक्ट्स जो भी बनाये और जिसके लिये बनायें, उसकी जरूरत को ध्यान में रख कर बनायें।

यह कहना गलत है कि इस बिल से इन्जीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का कोई टकराव होता है। आर्किटेक्ट डिजाइन कर के देता है और इन्जीनियर उस पर अमल करता है, दोनों चीजें इन्जीनियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई इन्जीनियर दोनों क्वालिफिकेशन रखता है तो उसको आर्किटैक्ट बनाने में क्या हर्ज है। मैं तो यह समझता हूं कि अगर वह आर्किटेक्ट का इम्तिहान पास कर ले तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता हैं, इसमें कोई टकराव की बात नहीं है। बल्कि इसमें आपको सुविधा देनी चाहिये। मैं तो यह चाहता हूँ कि जिस तरह दूसरी जगहों पर लोगों के सलाह मशविरे से काम होता है, उसी तरह इसमें भी आप आर्किटेक्ट्स की जो बड़ी-बड़ी आर्गिनेजेशन्स हैं, उनसे सलाह मशविरा करके अगर और ज्यादा सुधार की गुंजाइश हो तो करना चाहिये। वैसे यह तो अभी नया बिल है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, जैसे-जैसे देश का निर्माण आगे बढ़ेगा, उसके मुताबिक इसमें सुधार होते जायेंगे। फिर भी इस वक्त आपने जो प्रयत्न किया है उसके लिये मैं आपकी सराहना करता हूं।

SHRI S. KUNDU (Balasore) : After its introduction, the Bill went to the Joint Committee and was passed by the Rajya Sabha. In this process some controversy has arisen, and I think that this controversy was very much necessary. At least through this controversy we come to know actually where the engineer stands and where the architect stands. I am not holding any body's brief here. We have been told that the architects need this Bill to protect their designation, they do not want to protect their profession or any special provision so that they will be the only persons, so far as this architectural profession is concerned, who will be consulted always through this legislation. I was reading through the evidence given by the President of the Indian Institute of Architects. There he has put the matters very clearly, when he said :

> "So we approached the Government of India and submitted there is need to start with to protect the title 'architect' at least. In my memorandum I have pointed out that the Bills are normally of two kinds, the protection of the title 'architect' and the protection of the practice of architecture."

I do not want to go into it further. Later on when he was asked a question by Mr. Hem Barua :

> "If this Bill is adopted in Parliament, would it not mean the protection of the profession ?"
>
> he replied :

"It would be for the help of the public."

I do not exactly know how it is and I request the hon. Minister to explain it. The fear that has arisen in the minds of thousands of engineers in our country-I do not hold anybody's brief-is that once this Bill is passed, those of them who had been practising as architects will be rendered unemployed. This Bill was revised drastically in the Joint Committee. I have a little fear when I look into this provision in clause 34(2). Certain qualifications had been prescribed and certain machinery had been evolved to get one self registered. But this clause creates a little trouble for me.

> "After the expiry of one year from the date appointed under sub section (2) of section 24, a person who is not registered in the register shall not, except with the sanction of the Central Government hold any appointment as architect under the Central or State Government or in any school or college....."

Here the question of appointment has come specifically. These appointments have been given only for them not for the other

[Shri S. Kundu]

engineers who are also doing architectural work. Unless this point is cleared, doubt will still persist in the minds of many engineers. Perhaps one of the most important benefits which they had been having taken been away may, be indirectly this benefit had been taken away. Mr. Piloo Mody would be slightly unhappy if I point out these things but he himself said that he had no objection to broaden the provision. He said clearly : we want to protect the title; we do not to protect the profession.

Coming to the amendment I have given, I have tried to allay the fears of practising engineers. I do not want to read the whole of my amendment. It means that you give preference to those architects who are registered. It says here that only those who are registered will be appointed I have slightly modified it to the effect that the architects registered under the Act should be given preference. I hope the hon. Minister would see my amendment. He is a very reasonable man and he can understand that these fears are there of many engineers. So he should try to accept this amendment.

I have also given some other amendments where the qualifications have been prescribed.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI S. KUNDU : Give me three or four minutes, Sir. In respect of those qualifications, I have suggested that the certificate of fellowship awarded by the All India Association of Consulting Engineers and Architects, New Delhi, and praotical experience of architects at least for a period of three years should be included. The practical experience for civil engineers,-who have acquired a qualification in engineering, say a degree or diploma-in architecture for three years should be considered as a qualification and they should also be included in the register of architects. I think unless this is specifically done, doubts will persist.

Apart from this, I entirely agree that there is need for architects in our country. They say they are much more concerned with the environment, the society and so on. An engineer, perhaps, builds without any concern for environment, society, etc., or without any concern to the needs of the people who have to remain in those buildings or flats, I feel that there have been earlier also, many big engineers who have been very important architects. For instance, you know the name of the famous architect, Frank LloydWhight who had been one of the most renowned architects in the world; he has been a famons engineer with perhaps no basic qualification in architecture. Anyway, the point is, this. When I see big palatial and modern buildings in Bombay and other places coming up in the country, I feel that Indian architects must be more concerned with the needs of our country. When I go round the villages in my constituency, I feel many crores of houses are needed. But I have never found any scheme for any architectural or engineering importance being formulated to put up houses whioh would be cheap and also durable for the people. I have only seen some of the army engineers having built some houses, but they cost fantastic amounts like Rs. 25,000 or Rs. 26,000 each. If we cannot think of some sort of correlation and consideration to the two important wings of our constructional engineering-architects and civil engineers-and ask them to see how good and cheap houses could be built in our country, I think there is no future for the country. Unless an engineer or an architect is concerned with the needs of the country, perhaps the utility of that engineer or architect is not there. Therefore, something should be done, regarding this, and some positive criterion for buildings must be evolved, so that our engineering and architectural genius is made to reflect the needs of our country.

In this connection, I would like to give a suggestion. In Bombay, lots of people live on the foothpaths and at the time of rains and shivering cold in winter, they somehow huddle together somewhere in somebody's garage or beneath a cot or in somebodsy's shop. Could not something be done to them ? Though this is not directly connected with this Bill, I would like to suggest to the Minister the need for doing something for them.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI S. KUNDU : Two or three minutes, Sir. We might differ politically as to what happens in China But I would like to draw the attention of the Minister to one thing. After the Chinese came to power in 1944 they built in big cities big halls for the poor people, those people who do not have houses. I think something of that type should be done in big cities here also, particularly where people come from all parts of India looking out for jobs, and do not get shelter. The Government should build some big halls so that shelterless people can spend at least the nights there, and save their skin from the hazards of bad weather and also from rain. For this, some money is of course necessary but resources can be raised. I see big buildings coming up in Bombay, on the Malabar Hills, and such other places. You can tax them on the basis of something for one square yard. Ask the people who can afford to pay. Such people can build there. I do not know where from they get money; most of them do not get loans from the banks. The money comes to them from the black market. I am told the communist regime in Budapest encouraged black-marketers to invest their money in buildings. Today with a population of 53 crores, we need 8 crores of houses. In the fourth plan, we will have 780 lakhs of houses. For building 8 crores of houses, we need money. When the Privy Purses Bill was being discussed, one Maharani was telling me that she needs the privy purse because she has not such a big palace in Calcutta that she is employing 30 people to look after it. If such big houses and palaces are necessary, let them keep those palaces, but you should tax them on the basis of square yards. With the resources thus made available, you should build houses for the poor people.

I hope the Minister will consider my amendments and accept them.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, इस बिल पर मुझे कोई ज्यादा बातें नहीं कहनी है। सिर्फ दो तीन बातें ही कहनी है। पहले तो मैं अपनी मायूसी का इजहार कर दूं कि इस बिल से वाज भाई काफी खुश हुए हैं लेकिन मुझे कोई लम्बी चौड़ी खुशी नहीं हुई है इसकी वजह यह है कि यह जो बिल है वह बम्बई कलकत्ता, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए है। हमारे गरीब भाईयों के जो मकान साल में 6 से 5 और 5 से तीन ही गिर कर रह जाते है उनके लिए आर्किटेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे। उनके लिए पीलू मोदी भी कुछ भी नहीं सकेंगे क्योंकि जितने भी नक्शे और डिज़ाइन बनाये जायेंगे वह बम्बई के मेरीन ड्राइव, नारिमन प्वाइंट या चंडीगढ़ के लिए बनाए जायेंगे। इसमें देहात के बेचारे गरीबों के लिए कोई फायदा नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सब कुछ सिर्फ दो चार करोड़ आदमियों के लिए है या इस देश के 58 करोड़ आदमियों के लिए भी इसमें कोई नकशा है?

मैं इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा नहीं होना चाहता था क्योंकि जिस चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं होती उस चीज को मैं नहीं कहता। इसमें देहात के लिए कोई बात ही नहीं है जिसके लिए मैं तारीफ कर सकूं। मैं सिर्फ एक बात के लिए खड़ा हुआ हूं कि हिन्दुस्तान में आये 58 या 60 आदमी ऐसे है जिन्होंने कि रसूल में पास किया था, वहां से अपना इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया था लेकिन इस बिल में उनका कोई भी जिक्र नहीं है। तो मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूँ कि कम से कम इतना ही कर दीजिए कि उनको भी इसमें शामिल कर लीजिए। उनको इसमें शामिल करने के लिए अमेन्डमेन्ट लाये गए हैं, श्री पीलू मोदी ने भी अमेन्डमेन्ट पेश किया है और जनसंघ के भाई श्री गोयल जी ने भी अमेंडमेन्ट पेश किया है। उन्हीं के लिए दो बातें कहने को मैं खड़ा हुआ था। आप शेड्यूल पार्ट वन या पार्ट टू जहां भी जरूरी समझें रखें लेकिन रसूल से पास किए हुए जो लोग हैं उनकी डिग्री उनके हाथ से नहीं जानी चाहिए। इन 50-60 आदमियो का भला इसमें जरूर हो जाना चाहिए। अगर इतना ही आप कर देंगे तो मैं समझ लूंगा कि 60 करोड़ आदमियों का भला हो गया। उस अमेन्डमेन्ट को आप जरूर मंजूर फरमायें। यह जो ओमिशन इसमें रह गई है उसको जरूर दुरुस्त किया

[श्री रणधीर सिंह]

जाना चाहिए । रसूल एक बहुत मशहूर जगह है । पंजाब के सारे इंजीनियर रसूल से निकले हुए हैं । पता नहीं उसको आपने क्यों छोड़ दिया ? बम्बई; नागपुर, इंग्लैंड और पैरिस तक आप चले गए, शिकागो तक पहुंच गए लेकिन रसूल को इग्नोर कर दिया । उसको भी आप इसमें शामिल कर लीजिए । क्या आप इसलिए भूल गए कि वह पाकिस्तान में है ? पाकिस्तान में भी हमारे भाई हैं । हमारा उनका झगड़ा सिर्फ सियासी तौर पर ही है ।

मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है । मैं गया था मदुराय । वहां कोई डिप्लोमा होल्डर तो है नहीं ।

सभपति महोदय, : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

---

16 hrs.

DISCUSSION *RE*: SHORTAGE OF FISH SUPPLY IN WEST BENGAL AND ASSAM (*Contd.*)

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Sir, today I am raising this discussion with the sole object or getting a categorical assurance from the hon. Minister, our dear friend, Shri Shinde, that the work for the Roychawk fishing harbour, which was sanctioned months ago, will be started within a month because we are missing very valuable dry months and we cannot afford to do it.

What is the position today ? In West Bengal and Assam fish is being sold from Rs. 10 to Rs. 20 a kilo. In Silchar the other day they sold fish at Rs. 25 a kilo. This is due mainly to partition and is to be taken by the Central Government as a national responsibility.

It is more felt in those two States because the majority of the population there is fisheaters and has no other form of protein. Very recently an eminent scientist has said that the brain of a human being does not develop if he does not take enough protein at a particular age group.

SHRI P. K. DEO : They can take to groundnuts.

SHRI JYOTIRMOY BASU : The fish famine in West Bengal has happened due to the ruling party's close association with vested interests and politicking with food particularly in West Bengal and the regions adjoining it.

In the international chart what do we see ? In Korea a man consumes 37 kilos of fish a year; in China 31 kilos and in India only 2.7 kilos. The catch in Peru, we see, is 10,520,300 tons, in Japan 86,69,800 tons, in Soviet Russia 60,82,100 tons and in India just 14 lakh tons for this vast population of 500 million people. It is a case of utter failure and lack of growth for which the Central Government should be held squarely responsible.

In West Bengal they have 85 kilometres of sea front and it is wholly untapped. The area of the sea-bed available for tapping is 38,856 square miles. The Estimates Committee, in their Fortieth Report, have very clearly stated on page 10 :-

> "The Committee are unhappy to note the way in which the development of fisheries in the Bay of Bengal has been handled. It appears that initially no proper survey was made about the fisheries in the Bay of Bengal and the deep sea fishing operations undertaken by the Government of West Bengal on a commerical scale were unproductive."

Calcutta alone today needs for 55,50,195 heads, which is grossly underestimated, about 80,960 metric tonnes of fish. That works out to 6,350 maunds a day. We are getting at the moment 40 per cent and no more We require not less than 139 lakh maunds of fish every year. Our production today at the most is 70 lakh maunds. This is the outcome of 20 years of Congress rule there.